

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आ0 संख्या : 1ए/ई1-(विपत्रक) 2-04/99.....20..... वि0/दिनांक : 17/01/2025

-:कार्यालय आदेश:-

बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010 के प्रावधानानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-18301 दिनांक-15.11.2024 द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (सेवानिवृत्ति तिथि 31.07.2024) को अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-रू0 9300-34800/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-8 में दिनांक-18.07.2018 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक-24.05.2017 में निहित प्रावधान के तहत श्री शर्मा का वेतन निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र0	नाम/पदनाम	वित्तीय उन्नयन के पूर्व वेतन स्तर	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	द्वितीय वित्तीय उन्नयन में अनुमान्य वेतन स्तर	उन्नयन की तिथि को प्राप्त वेतन प्रक्रम	वेतन निर्धारण लाम के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतन वृद्धि सहित वेतन प्रक्रम	द्वितीय वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अनुमान्य वेतन स्तर-8 में वेतन प्रक्रम एवं आगामी वेतन वृद्धियों के अनुरूप वेतन प्रक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री उमेश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	वेतन स्तर-7	18.07. 2018	वेतन स्तर-8	50,500/-	52,000/-	52,000/- 18.07.2018 53,600/- 01.07.2019 55,200/- 01.07.2020 56,900/- 01.07.2021 58,600/- 01.07.2022 60,400/- 01.07.2023 62,200/- 01.07.2024 (दि0-31.07.2024 को सेवानिवृत्त)

3. वेतन निर्धारण के संबंध में भविष्य में कोई त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उसे रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक/कम भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(ऋषिकेश)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1ए/ई1-(विपत्रक) 2-04/99..... वि0/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1ए/ई1-(विपत्रक) 2-04/99.....603..... वि0/पटना, दिनांक 17.01.2025

प्रतिलिपि : संयुक्त आयुक्त, लेखा/सिस्टम एनालिस्ट/श्री उमेश कुमार शर्मा, संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रूपे.

17/01/25

सरकार के अवर सचिव।